आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
20/09/2012	**सारण समाहरणालय, छपरा** **न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।** **आपूर्त्ति अपील वाद सं0- 84/2011** **लीलावती देवी बनाम राज्य एवं अन्य** **आदेश** यह अपील अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी आदेश ज्ञापांक 1481 दिनांक 14/11/2011 को चुनौती देने के लिए दायर की गयी। बिक्रेता के विरूद्ध यह आरोप लगाया गया था कि उसने चावल उत्सव योजना के लिए पूर्ण आवंटित खाद्यान्न के उठाव के लिए पर्याप्त राशि राज्य खाद्य निगम के पास जमा नहीं की और अपनी मर्जी से 6.70 क्विंटल चावल का उठाव नहीं करने का निर्णय लिया। तत्पश्चात् अनुज्ञापन पदाधिकारी ने प्रश्नगत बिक्रेता से कारणपृच्छा की और प्रश्नगत आदेश पारित किया। अपीलकर्त्ता का तर्क है कि उसके प्रतिष्ठान से जुड़े सभी 165 बी0पी0एल0 कार्डधारी खाद्यान्न का उठाव नहीं करते हैं और इसलिए उसे पूर्ण आवंटित मात्रा का उठाव करने और उसके विरूद्ध समतुल्य राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं थी। सुनवाई के दौरान अपीलकर्त्ता ने राज्य सरकार के अधिसूचित आदेश 2007 की धारा 07 (4) का उल्लेख करते हुए कहा कि चूँकि अपीलकर्त्ता को आवंटन का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसकी एक निश्चित राशि जमा करने की कोई वैधानिकता नहीं थी। प्रतिवादी राज्य का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने कहा आपूर्त्तिकर्त्ता ने मनमाने तौर पर अपनी मर्जी से उठाव के लिए मात्रा निर्धारित की और इस प्रकार जन वितरण प्रणाली के उद्देश्य को विफल किया। दोनों पक्षों को सुनने और अभिलेख का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलकर्त्ता का आचरण पूरी तरह से स्वेच्छाचारी और अवैधानिक रहा है। चावल उत्सव योजना की संबंध पूर्व के आवंटन या अवशेष मात्रा से नहीं था। सरकार ने प्रत्येक बी0पी0एल0 कार्डधारी को 20 किलोग्राम चावल की आपूर्त्ति करने का निर्णय लिया था और इसके लिए किसी प्रकार के कूपन की आवश्यकता भी नहीं थी। अतः बिक्रेता की जिम्मेदारी सभी सम्बद्ध 165 कार्डधारियों के लिए उठाव करने और उसके	

20/9/12

समतुल्य राशि जमा करने की थी। किन्तु इसके विपरीत बिक्रेता द्वारा अपनी मर्जी से उपभोक्ताओं की संख्या निर्धारित की गयी और तद्नुसार कम राशि राज्य खाद्य निगम के पास जमा की गयी। यह न केवल जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति तथा सरकार द्वारा निर्गत आदेश का उल्लंघन है, बल्कि सम्बद्ध उपभोक्ताओं के साथ अन्याय भी है।

उपरोक्त परिस्थितियों में अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अपील खारिज की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।